कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

Phone no. 0771-2426024 Fax no.. 0771-2220622 Website-raipur.gov.in Email ID-raipur.cg@nic.in

// ज्ञापन //

क्रमांक/807/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2022 रायपुर, दिनांक 20/05/2022

प्रति,

1/ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी,
जिला रायपुर

2/ समस्त थाना प्रभारी,
जिला रायपुर

विषय :- बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में कार्यवाही किये जाने बाबत्।

संदर्भः 1.पीआईएल क. 112/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विस्तृत निर्देश
2.पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क. एनजीटी/7364, दिनांक 10.08.2016 के माध्यम से दिये गये विस्तृत निर्देश
3.पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क. मुख्या/वैज्ञा/छ.ग.प.स.म/2021/4186, दिनांक 13.09.2021 के माध्यम से समस्त पुलिस अधीक्षकों को दिये गये विस्तृत निर्देश

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय बिलासपुर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण संरक्षण मंडल छत्तीसगढ़ जैसी प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा विस्तृत निर्देश पूर्व में जारी किये गये हैं, जिनका कड़ाई से पालन करवाना आवश्यक है।

ध्वनि प्रदूषण चूंकि स्वास्थ्य के लिये घातक है, अतः इन प्राधिकृत संस्थाओं के आदेशों निर्देशों पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जाना आवश्यक है। तदनुसार आदेशित किया जाता है कि स्कूल, कालेज, हास्पिटल जैसे संस्थानों जिनसे 100 मीटर के दायरे तक को सांइलेंस जोन माना गया है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण को सख्ती से रोका जाये, सड़को पर वाहनों में साउंड बाक्स लगाकर चलाई जाने वाली तेज़ आवाज से आमजन के सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही यह कोलाहल अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन भी है, अतः इन पर भी सख्ती से वैधानिक कार्यवाही की जाये। प्रतिबंधित समय में अथवा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थलों में लाउडस्पीकर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावें।

पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, के प्रकरण क्रमांक सिविल अपील नंबर **3735/2005 एवं रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 72/1998** निर्णय दिनांक **18 जुलाई 2005** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण रहित मानवीय जीवन को प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना है एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को अनुमति योग्य सीमा के भीतर किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिये है।

District Magistrate Office RAIPUR (C.G.)

...ri Sahu A.S-W/General letter.doc1802

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन **(पी.आई.एल) क्रमांक 112/2016** निर्णय दिनांक **06.12.2016 नितिन सिंघवी विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन** के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।(प्रतिलिपि संलग्न)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) संशोधित नियम 2010 में जारी किये गये ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग पर नियंत्रण एवं उल्लंघन पर किये जाने वाले कार्यवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। (प्रतिलिपि संलग्न)

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन नार्थ ब्लाक सेक्टर–19 नया रायपुर के पत्र क्रमांक 5007 ए /मुख्या./वैज्ञा/छ.ग.प.स.म. /2016 दिनांक 16.12.2016 द्वारा जारी पत्र के माध्यम से दिये गये दिशा निर्देश व उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये समस्त निर्देशो का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये। (प्रतिलिपि संलग्न)

मध्यप्रदेश/ छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की समयावधि, तीव्रता, मोटरयानों से उत्पन्न होने वाले कोलाहल के संबंध में शास्ति एवं शक्ति आदि के संबंध में विस्तृत उपबंध किये गये है (जो इस पत्र के साथ संलग्न है) के समस्त प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही इस दिशा में की गई कार्यवाही से प्रतिमाह इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–

01. मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985
02. ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000
03. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का रिट पिटिशन (पी.आई.एल क्रमांक 112/2016) का निर्णय।
04. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी निर्देश दिनांक 16.12.2016 की प्रति।

(सौरभ कुमार)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

क्रमांक/ 807/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2022 **रायपुर, दिनांक 20/05/2022**

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
3. सचिव, पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ।
5. पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर को पालनार्थ।

Office of the District Magistrate RAIPUR (C.G.)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

D:\ S... General letter.doc1803